

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2161]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937

No. 2161]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2726(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 1372(अ), तारीख 27 मई, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 27 मई, 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

अधिसूचना की अनुसूची में, 'ग्राम विश्रामपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या' में '521(भाग) और 553' की प्रविष्टि के पश्चात्, प्लॉट संख्यांक '576 और 577' अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 43015/12/2012-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 2015

S.O. 2726(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 1372(E), dated the 27th May, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th May, 2013 namely:—

In the Schedule to the notification, in the entry “plot numbers to be acquired in the village – Bishrampur”, after plot numbers “521(P) and 553”, the plot numbers “576 and 577” shall be inserted.

[F. No. 43015/12/2012-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.